दूरभाष : 2207644
2207568
2207435
2206783
2207893
फैक्स : 2207259

उ० प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि०

(उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का उपक्रम)

मुख्यालय – 17–गोखले मार्ग, लखनऊ–226 001

जुलाई 2013 से फरवरी 2014

पत्रांक.....

जिला कार्यालय, भगवती गंज, बलरामपुर

दिनांक.....

बिल – परिवहन व्यय का विवरण

जनपद – बलरामपुर

1- मण्डल :- देवीपाटन मण्डल गोण्डा
2- कार्यालय का नाम :- उ०प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि० बलरामपुर
3- अवधि :- 01-7-2014 से दि० 28-02-2014 तक (जुलाई 2013 से फरवरी 2014 तक)
4- बिल नम्बर :- 02/2013-14 दि० 20-03-2014

विवरण (क्रम से कब तक) आर० टी० ए० चालान दिनांक संख्या क्र० में	भाड़ा कुल बिल में F.C.I. से आया	विभाग द्वारा स्वीकृत भाड़ा क्र० में	दर प्रति क्विं०	कुल धनराशि रुपये में
माह जुलाई 13 से सितम्बर 2013 तक — प्राथमिक गेहूँ R0 40.18/14 दि० 15/13	3136-90	3136-90	3136-90	32 21 17=50
उच्च प्राथमिक गेहूँ R0 40.18/48 दि० 17/13	1158-00	1158-00	1158-00	
प्राथमिक चावल 18/42 दि० 15/13	6197-50	6197-50	6197-50	6 35 790=00
उच्च प्राथमिक 18/43 दि० 15-7-13	2279-70	2279-70	2279-70	
माह अक्टूबर 13 से दिसम्बर 13 तक — प्राथमिक गेहूँ R0 40.17/14 दि० 11/12	2381-10	1310-82	1310-82	98 311=50
उच्च प्राथमिक गेहूँ R0 40.18/14 दि० 27/12	1016-20			
प्राथमिक चावल 19/14 दि० 27/12	4762-20	2331-89-925	2331-89-925	17 48 992=80
उच्च प्राथमिक चावल 20/14 दि० 27/12	2032-40			
माह जनवरी 14 से मार्च 14 तक — प्राथमिक गेहूँ Rato 31/14 दि० 28/12	2305-20	1349-27-500	1349-27-500	10 11 95=60
उच्च प्राथमिक गेहूँ 32/14 दि० 28/12	1469-90			
प्राथमिक चावल 23/14 दि० 28/12/14	4610-40	3367-71-470	3367-71-470	25 25 78=50
उच्च प्राथमिक चावल 24/14 दि० 28/12/14	2939-80			
योग		21131-80-895	21131-80-895	15,84,886=00

Rs. Fifteen lac eighty four thousand eight hundred eighty five only.

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1- बिल प्रमाण एवं भुगतान हेतु प्रस्तुत है।
2- कालम 5 में वर्णित (भाड़ा) दर मेरे द्वारा जिलाधिकारी बलरामपुर के प्रस्ताव दिनांक के माध्यम से प्रस्तुत की गयी
3- प्रमाणित किया जाता है कि निगम के कर्मचारी विभिन्न मदों (ढुलाई मद, परिवहन मद, गोदाम किराया, माल रख रखाव) प्रशासनिक व्यय मदों पर कुल व्यय रु० 75 का अंश कुल बिल में सम्मिलित किया गया है। परिवहन की दरें प्रति क्विंटल अंश। जिलाधिकारी दर के आधार पर न्यून हैं।

सहायक प्रबन्धक (लेखा)
(जिला कार्यालय)

उ० प्र० राज्य ... निगम लि०